न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 32 / 2024
अनवान : –

1. बलविन्द्र सिंह पुत्र जेओन सिंह जाति जटसिख साकिन कनक वाला तहसील व जिला भटिण्डा (भटिण्डा)।
2. मलकीत सिंह पुत्र जेओन सिंह जाति जटसिख साकिन कनक वाला तहसील व जिला भटिण्डा (पंजाब)।

–प्रार्थीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय दिनांकः 20/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता संख्या 360 / 373 की कुल 10.0390 हैक्ट भूमि में से प्रार्थी संख्या 1 के नाम 3655 / 10939 हिस्सा व प्रार्थी संख्या 2 के नाम 3642 / 10939 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में प्रार्थीगण की वल्दियत में नाम जीवन सिंह दर्ज है जबकि प्रार्थीगण के पिता का सही व वास्तविक नाम जेओन सिंह जो की प्रार्थीगण के समस्त दस्तावेजों यथा आधार कार्ड आदि में जेओन सिंह दर्ज है। अतः प्रार्थी गण अपने पिता का सही नाम जीवन सिंह के स्थान पर जेओन सिंह दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में मुताबिक दस्तावेजों के अपने पिता का नाम जेओन सिंह दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थीगण के पिता सही नाम तस्लीम कर देवे तो अप्रार्थी स0 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे कितु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज र[illegible] किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 [illegible] पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:17:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता का सही नाम जेओन सिंह है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम जीवन सिंह दर्ज हो गया है जिससे प्रार्थीगण को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थीगण के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का सही नाम जेआने सिंह दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता संख्या 360/373 की कुल 10.0390 हैक्ट भूमि में से प्रार्थी संख्या 1 के नाम 3655/10939 हिस्सा व प्रार्थी संख्या 2 के नाम 3642/10939 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, प्रार्थीगण अपने पिता का नाम जीवन सिंह के स्थान पर जेओन सिंह दर्ज करवाना चाहते है जो की प्रार्थीगण के समस्त दस्तावेजों में दर्ज है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता संख्या 360/373 की कुल 10.0390 हैक्ट भूमि में से **प्रार्थी संख्या 1 का नाम बलविन्द्र सिंह पुत्र जीवन सिंह के स्थान पर बलविन्द्र सिंह पुत्र जेओन सिंह व प्रार्थी संख्या 2 का नाम मलकीयत सिंह पुत्र जीवन सिंह के स्थान पर मलकीतसिंह पुत्र जेओन सिंह** का संशोधन किया जाता है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रार्थीगण के नाम क्रमश बलविन्द्र सिंह पुत्र जीवन सिंह व मलकीयत सिंह पुत्र जीवन सिंह के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का प्रार्थीगण के नाम क्रमश बलविन्द्र सिंह पुत्र जीवन सिंह व मलकीयत सिंह पुत्र जीवन सिंह के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थीगण का नाम क्रमश बलविन्द्र सिंह पुत्र जीवन सिंह व मलकीयत सिंह पुत्र ज़ीवन सिंह ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 20/05/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:17:29 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नोहर

पीठासीन अधिकारी : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
क्रमांक : रीडर/सशोधन/2023/ दिनांक :

तहसीलदार,
नोहर।

विषय :– प्रकरण स0 33/2024 अनवानी बलविन्द्र सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के संबंध में।

प्रकरण संख्या – 33/2024
अनवान : –

1. बलविन्द्र सिंह पुत्र जेओन सिंह जाति जटसिख साकिन कनक वाला तहसील व जिला भटिण्डा (भटिण्डा)।
2. मलकीत सिंह पुत्र जेओन सिंह जाति जटसिख साकिन कनक वाला तहसील व जिला भटिण्डा (पंजाब)।

–प्रार्थीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता संख्या 360/373 की कुल 10.0390 हैक्ट भूमि में से **प्रार्थी संख्या 1 का नाम बलविन्द्र सिंह पुत्र जीवन सिंह के स्थान पर बलविन्द्र सिंह पुत्र जेओन सिंह व प्रार्थी संख्या 2 का नाम मलकीयत सिंह पुत्र जीवन सिंह के स्थान पर मलकीतसिंह पुत्र जेओन सिंह** का संशोधन किया जाता है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रार्थीगण के नाम कमश बलविन्द्र सिंह पुत्र जीवन सिंह व मलकीयत सिंह पुत्र जीवन सिंह के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का प्रार्थीगण के नाम कमश बलविन्द्र सिंह पुत्र जीवन सिंह व मलकीयत सिंह पुत्र जीवन सिंह के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थीगण का नाम कमश बलविन्द्र सिंह पुत्र जीवन सिंह व मलकीयत सिंह पुत्र जीवन सिंह ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:17:29 IST
Reason: SelfAttested